रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 1990/फाल्गुन 10, 1911

No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1990/PHALGUNA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना सं. 50

नई दिल्ली, 28 फरवरी 1990

फा. सं. ई. पी 41/1/89:—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:—

1. (1) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन अधिनियम, 1990 कहलाये जाएंगे।

(2) ये विनियम जून, 1989 के पहले दिन से लागू माने जायेंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) अधिनियम, 1967 के विनियम 15 में जहां कहीं भी, संख्या, कोष्ठक और शब्द "8.33% (आठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत)" आये है, के स्थान पर संख्या, कोष्ठक और शब्द "10% (दस प्रतिशत)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन :—भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) अधिनियम, 1967, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 यथा संशोधित पर आधारित है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन अंशदान और चंदे की दर दिनांक 1-6-1989 से 8.33% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है, सार्वजनिक उद्यम कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 2(34)/88-बी पी ई (डब्ल्यू सी) दिनांक 20-7-1989 द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिनांक 1-6-1989 से अंशदान और चंदे की दर को 10% तक करने के निर्देश दिये है। अत: इस विनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति जिस पर ये विनियम लागू होगा उसके हित को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी :—1. मूल अधिनियम (भारतीय खाद्य निगम) [(सी पी एफ) अधिनियम, 1967] दिनांक 27-5-1967 के भारतीय राजपत्र के भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित हुआ।

Duplicate

2. संशोधन [(भा. खा. नि.) (सी पी एफ) अधिनियम 1967 का विनियम 15), दिनांक 10-8-1982 को भारतीय राजपत्र के भाग-III खंड-4 में प्रकाशित हुआ।

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 50

New Delhi, the 28th February, 1990

F. No. EP. 11|1|89 :—In exercise of the powers conferred by section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Food Corporation of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st Day of June, 1989.

2. In regulation 15 of the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967, for the figures, brackets and words "8.33% (Eight decimal three-three percent)" wherever they occur, the figures, brackets and words "10% (Ten percent)" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM : The Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967 are based on the Employees Provident Fund Act, 1952, as amended from time to time. The rate of subscription and contribution under the Employees Provident Fund Act, 1952, has now been increased from 8-1|3% to 10 percent with effect from 1-6-1989. The Bureau of Public Enterprises, Ministry of Industry, Government of India vide Office Memorandum No. 2(34)|88-BPE(WC) dated 20-7-1989, has also issued instructions to the concerned Public Sector Undertakings to increase the rate of subscription and contribution to 10% with effect from 1-6-1989. It has, therefore, become necessary to give retrospective effect to this regulation. It is certified that by giving retrospective effect to this regulation, it shall not prejudicially effect the interest of any person to whom these regulations are applicable.

Note : 1. Original Regulations [Food Corporation of India (GPF) Regulations, 1967] published in Part-III Section 4, of the Gazette of India dated 27-5-1967.

2. Amendment [Regulation 15 of FCI (CPF) Regulations 1967] published in Part-III Section 4 in the Gazette of India dated 10-8-1982.

अधिसूचना सं. 51

सं. ई.पी. 36(2)/86--खाद्य निगम अधिनियम 1961 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी-वृन्द) विनियम, 1971 में आगे संशोधन के लिए भारतीय खाद्य निगम निम्न विनियम बनाता है, नामतः:--

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (101वां संशोधन) विनियम, 1990 कहे जायेंगे।

(2) ये तुरंत प्रभावी होंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के वर्तमान विनियम 48(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:--

"48(4) --प्रत्येक कर्मचारी श्रेणी-I अथवा श्रेणी-II का जो रुपये 10,000 तथा श्रेणी-III अथवा श्रेणी-IV का जो रु. 5,000/- मूल्य से अधिक की संपत्ति का लेन-देन करता है तो उसे अपने स्वामित्व वाली अथवा अपनी या अपने नाम में अथवा अपने परिवार के सदस्य के नाम से दर्ज ऐसी चल सम्पत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। इसमें यह व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी यदि किसी लेन-देन में:

(क) व्यक्ति का जिसके साथ कर्मचारी के सरकारी व्यवहार है; या

(ख) नियमित प्रतिष्ठित डीलर के अतिरिक्त किसी अन्य के माध्यम से हो।"

के. एस. भसीन, सचिव

NOTIFICATION NO. 51

File No. EP 36(2)|86 :—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely :-

1. (1) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (101st amendment) Regulations 1990.

(2) They shall come into force at once.

2. The existing Regulations 48(iv) of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 shall be substituted as under :--

"48 (iv) : Every employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his own name or in the name of a member of his family, if the value of such property exceeds Rs. 10,000|- in the case of an employee holding any Category-I or Category-II post, or Rs. 5,000|- in the case of an employee holding any Category III or Category-IV post.

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained, if any such transaction is :—

(a) with a person having official dealings with the employee; or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer."

K. S. BHASIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990